रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 153] नई दिल्ली, सोमवार, मई 15, 1978/वैशाख 25, 1900
No. 153] NEW DELHI, MONDAY, MAY 15, 1978/VAISAKHA 25, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(अप्रत्यक्ष कर खण्ड)

नई दिल्ली, 15 मई, 1978

अधिसूचना

सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 287(अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वापसी नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् --

1 (1) इन नियमों का नाम सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वापसी (संशोधन) नियम, 1978 है ।

(2) ये 15 मई, 1978 को प्रवृत्त होंगे ।

2 सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वापसी नियम, 1971 में --

(1) नियम 3 के उपनियम (2) के द्वितीय परन्तुक के खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् --

"(4) यदि उक्त माल पैकिंग सामग्री है जो निम्नलिखित के निर्यात में या उसकी बाबत उपयोग में लाई जाती है--

(1) जूट का सूत (इसके अन्तर्गत बिमलीपट्टम जूट या मेस्ता तन्तु भी है), टिवस्ट, ट्वाइन, धागे और रस्सियां, जिनमें वजन के अनुसार जूट के सूत की प्रधानता हो,

(2) जूट वस्त्र (इसके अन्तर्गत बिमलीपट्टम जूट या मेस्ता तन्तु भी है) जिसमें वजन के अनुसार जूट की प्रधानता हो;

(3) जूट की ऐसी विनिर्मितियां जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है (इसके अन्तर्गत बिमलीपट्टम जूट या मेस्ता तन्तु भी हैं) जिसमें वजन के अनुसार जूट की प्रधानता हो।"

(ii) अनुसूची में, क्रम सं० 25 और 26 तथा उनसे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् --

"25 संश्लिष्ट और पुनरुत्पादित रेशे और जूट के सूत (इसके अन्तर्गत बिमलीपट्टम जूट या मेस्ता तन्तु भी हैं) से भिन्न सूती सूत, जूट धागे से भिन्न धागे, जूट ट्वाइन से भिन्न ट्वाइनें, जूट की डोरियों और रस्सियों से भिन्न डोरियां और रस्सियां ।

26 जूट वस्त्रों (इसके अन्तर्गत बिमलीपट्टम जूट या मेस्ता रेशे भी है) से भिन्न सूती वस्त्र, और होजरी ।"

[अधिसूचना सं० 2/फ० सं० 602/17/77 डी०बी०के०]

सी० डी० रंगाचारी
उप सचिव, भारत सरकार

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Indirect Taxes Division)

New Delhi, the 15th May, 1978

NOTIFICATION

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

G.S.R. 287(E).—In exercise of the powers conferred by section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971, namely :—

1. (1) These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Drawback (2nd Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the 15th day of May, 1978.

2. In the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 :—

(i) aft ise (iii) of the second proviso to sub-rule (1 ule 3, the following clause shall be added. na —

"(iv) e said goods being packing materials used in relation to the export of—

(1) jute yarn (including Bimlipatam jute or mesta fibre), twist, twine, thread and ropes in which jute yarn predominates in weight.

(2) jute fabrics (including Bimlipatam jute or mesta fibre), in which jute predominates in weight.

(3) jute manufactures not elsewhere specified (including Bimlipatam jute or mesta fibre), in which jute predominates in weight.".

(ii) in the Schedule, for serial numbers 25 and 26 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

"25. Synthetic and regenerated fibre and textile yarn other than jute yarn (including Bimlipatam jute or mesta fibre), thread other than jute thread, twines other than jute twine, cords and ropes other than jute cords and ropes.

26. Textile fabrics, other than jute fabrics (including Bimlipatam jute or mesta fibre), and hosiery.".

[Notification No. 2/F. No. 602/17/77-DBK.]

C. D. RANGACHARI, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978